राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांकः प0 7(2)राज/वाद/18पार्ट–2 जयपुर, दिनांक 15/03/19

श्री अजय कुमार सेरावत पुत्र श्री छितरमल सेरावत
सेरावतों की ढ़ाणी (शिव मन्दिर), गांव–हाड़ौता, तहसील–चौमूं,
जिला–जयपुर पिन–303702

विषयः– **कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु प्रदत समय में शिथिलता प्रदान किये जाने के संबंध में।**

सन्दर्भः– **आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.19**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित प्रार्थना पत्र के क्रम में लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03.03.19 द्वारा आपको कार्यालय अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक क्रम संख्या – 3 कोटपुतली, जिला जयपुर में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर नियुक्ति दी जाकर 07 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था तथा किसी कारणवश 07 दिवस के भीतर कार्यभार संभालने में असमर्थता होने की स्थिति में कारण स्पष्ट करते हुये इस विभाग को सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त आदेश की पालना में आप द्वारा कार्यभार ग्रहण न कर अपना कार्यभार ग्रहण करने की अवधि में 03 माह बढ़ाये जाने हेतु सन्दर्भित अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः आपके द्वारा प्रस्तुत सन्दर्भित अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र के क्रम में आपको कार्यग्रहण करने हेतु दी गयी 07 दिवस की अवधि में शिथिलन/छूट प्रदान करते हुये, निर्देशित किया जाता है कि इस विभाग के आदेश दिनांक 03.03.19 की पालना में 02 माह की अवधि के भीतर अर्थात दिनांक 02.05.19 तक कार्यग्रहण करें। कार्यग्रहण नहीं करने की सूरत में यह मानते हुये कि आप इस नियुक्ति के इच्छुक नहीं हैं, आपकी नियुक्ति निरस्त करते हुए आपका मूल आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार विभाग को लौटा दिया जावेगा ।

(जगमोहन शर्मा)
विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव,शासन सचिव,विधि।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. कोषाधिकारी जयपुर शहर।
4. अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं0 3 कोटपुतली, जिला जयपुर।
5. लेखाधिकारी वादकरण।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

15/3/19

(जगमोहन शर्मा)
विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण